..तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/4911/2006/राजसमन्द** **रूकमणी व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री शांतिप्रकाश औझा, राजकीय अधिवक्ता

——

निर्णय

दिनांकः— 14.01.2026

प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/कुर्की वारण्ट/2005/385 दिनांक 18.03.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्व0 पति/पिता ने अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 से अपनी फेक्ट्री भैरूनाथ मार्बल माईन्स के लिए क्रेन लगाने हेतु ऋण का आवेदन किया था जिसको अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने स्वीकृत कर रूपये 1,05,000/— का ऋण स्वीकृत किया गया जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण ने क्रेन क्रय की । प्रार्थीगण के पति/पिता का देहांत हो गया और स्वीकृत की गई माईन्स भी निरस्त कर दी गई जिससे पूरा व्यवसाय समाप्त हो गया । अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने प्रार्थीगण की क्रेन को कुर्क कर लिया और जिसको बेचान करने से रूपये 26,000/— विभाग की ओर से प्राप्त किये गये । प्रार्थीगण के पति/पिता ने उक्त ऋण को लेने हेतु गारण्टर के रूप में आवासीय मकान को गारंटी के रूप में रखा था जिसके संबंध में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से दिनांक 08.07.2005 का एक नोटिस दिया गया जिस पर कुल वसूली की जाने वाली राशि रूपये 2,57,940/— निर्धारित की गई जिस पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर कि खान की मशीनरी निगम ने अपने कब्जे में ले ली है और जिसकी बोली के फलस्वरूप विभाग को 26000/— रू0 प्राप्त हुए है। उक्त राशि के अलावा रूपये 35,000/— की राशि प्रार्थी की ओर से बाजार में ब्याज पर लेकर चुका दी गई है । उक्त दोनों राशियों को समायोजित करने के पश्चात् शेष राशि को प्रार्थीगण की ओर से बकाया राशि को मासिक किश्तों में वसूला जावे । उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने के बजाय अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने धारा 229 राज0भू–राजस्व

..तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/4911/2006/राजसमन्द** **रूकमणी व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधि0 के तहत प्रकरण को तहसीलदार, राजसमंद के पास शेष बकाया राशि वसूल किये जाने हेतु पेश कर दिया जिस पर तहसीलदार, राजसमंद ने प्रार्थीगण को रूपये 2,57, 940/– व ब्याज वसूली हेतु तलब किये जाने के आदेश पारित किये और बाद जांच प्रकरण को दिनांक 09.01.2006 को उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद के समक्ष मकान की कुर्की किये जाने के लिए उद्घोषणा जारी किये जाने हेतु संप्रेषित किया जाता है । जिस पर उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपने आदेश दिनांक 18.03.2006 को उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रार्थीगण के मकान को नीलामी किये जाने हेतु आदेश पारित किये । उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी ए पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपना आदेश मात्र प्रस्ताव के आधार पर पारित किया है जबकि न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के तहत सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीया अनुसूचित जाति की बेवा औरत है जिसको सामाजिक सरंक्षिता हांसिल है । प्रार्थीया अपनी शेष बकाया ऋण की राशि चुकाने के लिए तत्पर है किन्तु उस पर लगायी गयी भारी ब्याज की राशि को चुकाने में पूरी तरह असमर्थ है । प्रार्थीया द्वारा बाजार से ब्याज पर रकम करीबन 35000/– लेकर एवं इसके अलावा क्रेन की नीलामी से प्राप्त राशि 26,000/– चुका चुकी है जिसे न तो शेष राशि से घटाया गया और ना ही उक्त के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया है । संपूर्ण ऋण राशि के आधार पर ब्याज राशि जोड़ कर निर्णय पारित किया गया है । प्रार्थीया 1,05,000/–की ऋण राशि में ये रूपये 61,000/– घटाकर शेष राशि 44,000/–रू0 जमा कराने को तत्पर है जिसकी मासिक किश्त निर्धारित करने के संबंध में पूर्व में निवेदन कर चुकी है । उक्त तथ्यों को नजरअदांज कर आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2006 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीया से बकाया ऋण राशि	

..तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/4911/2006/राजसमन्द** **रूकमणी व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ब्याज व पेनल्टी को छोड़कर मासिक किश्तों में लिये जाने के आदेश प्रदान करावें । प्रार्थीगण ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निगरानी में हुआ विलंब क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । विद्वान राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद का आदेश विधिसम्मत् है । प्रार्थीया के पति/पिता द्वारा ऋण लिया गया था जिसकी समय पर अदायगी नहीं किये जाने से ऋण राशि पर ब्याज, पेनल्टी इत्यादि मिलाकर कुल वसूली योग्य राशि 2,57,940 रू0 वसूल किये जाने हेतु मकान को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश पारित किये है जो उचित आदेश है । हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रार्थीगण ने निगरानी में हुए विंलब के संबंध में प्रार्थना पत्र मे ंजो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में निगरानी में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर निगरानी अंदर मियाद शुमार की जाती है। प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पति/पिता स्व0 नानाला द्वारा मार्बल माईन्स के लिए क्रेन लगाने हेतु अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के समक्ष ऋण हेतु आवेदन किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के द्वारा प्रार्थीगण के पति/पिता को ऋण राशि 1,05,000/—रू0 स्वीकृत किये जाकर ऋणी को राशि प्रदान की गई जिससे ऋणी द्वारा क्रेन क्रय की गई । उक्त ऋण के एवज में ऋणी द्वारा स्वंय के आवासीय मकान को गारण्टी के रूप में रखा गया था । ऋणी की मृत्यु उपरांत ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा ऋण राशि मय ब्याज एवं पेनल्टी के वसूली हेतु प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है किन्तु राशि जमा नहीं कराये जाने पर विभाग ने प्रकरण तहसीलदार, राजसमंद के पास शेष राशि वसूली हेतु भिजवाया है । जिस पर तहसीलदार द्वारा बाद जांच ऋण की वसूली हेतु ऋणी के मकान की कुर्की के लिए उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद को प्रकरण भिजवाया गया जिसके क्रम में उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा विधिसम्मत् प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश दिनांक 18.03.2006 के द्वारा ऋणी के	

..तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/4911/2006/राजसमन्द** **रूकमणी व अन्य बनाम उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मकान को कुर्क करने के आदेश प्रदान किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । जहां तक प्रार्थीगण का यह कथन कि विभाग द्वारा खान की बोली लगाकर 26,000/—रू0 वसूल किये जा चुके है तथा प्रार्थीगण द्वारा 35,000/—रू0 ब्याज राशि के जमा करा दिये गये है, किन्तु इस संबंध में प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि उक्त राशि अप्रार्थीगण वसूल कर चुका है । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए कुर्की की कार्यवाही की है जिसमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व/कुर्की वारण्ट/2005/385 दिनांक 18.03.2006 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानीसिंह पालावत)** **सदस्य**	